2017/00138

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 30/2017

अपीलांट
उस्मान पुत्र अमीन जाति
मुसलमान निवासी ऊटल
तहसील,शिव

बनाम

रेस्पोडेंट
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार,शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश 05.07.2017 बमुकदमा संख्या 28/2017 द्वारा तहसीलदार,शिव

उपस्थितः–1.श्री भगवानदास गोयल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.12.2017

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार,शिव द्वारा प्रकरण संख्या 28/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजड़ाल ने तहसीलदार,शिव के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि अपीलांट–उस्मान ने सम्वत् 2074 में मौजा ऊटल के खसरा नम्बर 3,524/2,40 व 536/377 रकबा 31 बीघा 10 विस्वा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान व तारबन्दी की है। इस पर तहसीलदार,शिव ने प्रकरण संख्या 28/17 दर्ज कर बाद,जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिकमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 01/–जुर्माना आरोपित किया एंव दो माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है।
3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी नोटिस की व्यक्तिगत तामिल नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ईकतरफा आदेश पारित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया है,जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। अपीलांट पश्चात्वति अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट की वादग्रस्त खसरान की भूमि पर विगत 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट भूमिहीन है। अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर शिव के न्यायालय में घोषणा व स्थाई व्यपादेश का वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पर अपीलांट का पक्का रहवासी मकान है जहॉ अपीलांट का टांका,बाड़,छप्परा बने हुए है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया है,जुर्माना की राशि अदा कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ करने एंव अपीलंट के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि नियमन की जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट ने सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था और उसे बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इस भूमि पर सम्वत् 2074 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की अतिक्रमण करने की प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का राजड़ाल की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ऊटल के खसरा नम्बर 3,524/2,40 व 536/377 रकबा 31–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान व तारबन्दी काश्त करने पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, अपीलांट को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 19.04.2017 का नोटिस जारी किया गया,जो अपीलांट स्वम् द्वारा तामिल किया गया है। अपीलांट पेशी तारीख 19.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है और दिनांक 19.04.2017 की आर्डर शीट पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 620/14 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 06.12.16 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जाकर कब्जा बहक सरकर प्राप्त किया है, जिसकी बेदखली एंव कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने,जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है। इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट भूमिहीन एंव गरीब काश्तकार है। अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी ने वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है और अतिक्रमित भूमि वर्तमान में खाली है एंव सरकारी कब्जे में है। इस पर हमने गौर किया। अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है और अतिक्रमीत भूमि खाली एंव सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए, भुगती हुई सजा को कम करते हुए शेष सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर